



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102020-222444  
CG-DL-E-14102020-222444

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3184]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 13, 2020/आश्विन 21, 1942

No. 3184]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2020/ASVINA 21, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2020

**का.आ. 3596(अ).**—जबकि केंद्रीय सरकार द्वारा तत्कालीन श्रम मंत्रालय की क्रमशः तारीख 2 सितम्बर, 1994 के का.आ. 641(ड) और तारीख 2 सितम्बर, 1994 का.आ.642(ड) द्वारा माध्यम से भारत सरकार की अधिसूचनाओं द्वारा श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और उपबंध अधिनियम, 1955 (इसमें इसके पश्चात् उक्त के रूप में उल्लिखित किया अधिनियम कहा गया है) (1955 का 45) की धारा 9 और धारा 13 ग के अंतर्गत पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों एवं समाचार अभिकरणों के कर्मचारियों के लिए वेतन की दरों का नियतन अथवा संशोधन करने के लिए दो मजदूरी बोर्डों को गठित किए गए;

और जबकि उक्त मजदूरी बोर्डों ने जुलाई माह के 25वें दिन केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उनके द्वारा सिफारिशें (मनिसाना वेतन बोर्ड सिफारिशें) की गई हैं; और उक्त सिफारिशों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया जैसा कि उक्त रिपोर्ट के “भाग तीन” में निहित है;

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तारीख 5 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ.1086 (ड) द्वारा से उक्त रिपोर्ट के भाग तीन में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे संशोधनों के साथ दो आदेश अधिसूचित किए गए और बाद में उन्हें तारीख 15 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ.1125(ड) (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त दो अधिसूचनाओं के रूप में उल्लिखित कहा गया है) द्वारा से संशोधित किया गया;

और जबकि उक्त दोनों अधिसूचनाओं को क्रमशः माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 01 फरवरी, 2006 के आदेश से और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 21 नवम्बर, 2006 के आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था;

और जबकि रिट याचिका (सी) संख्या 2010 का 5226 (श्री अच्युता राव तथा अन्य बनाम भारत संघ, मनिसाना वेतन बोर्ड और मनिपाल मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के मामले में) में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 21 जनवरी, 2011 के आदेश के द्वारा यह गौर करने के पश्चात कि मनिपाल मीडिया नेटवर्क लिमिटेड मनिसाना मजदूरी बोर्ड के आदेश को अपने कर्मचारियों के मामले में कार्यान्वित करने के लिए सहमत था, इस रिट याचिका का निपटान कर दिया;

और जबकि केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त दोनों अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए ऐसे उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया करने का लोप किया गया है दिनांक 11 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2532 (ड) द्वारा से मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अधिसूचित किया गया ;

और जबकि ऐसे मामले सामने आ रहे थे कि स्टेट्समैन मजदूर संघ ने केंद्रीय सरकार को उक्त दोनों अधिसूचनाओं को पुनः अधिसूचित करने के निदेश देने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई रिट याचिका (सी) संख्या 2014 का 6319 फाइल की;

और जबकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने तारीख 6 जुलाई 2018 के अपने निर्णय के द्वारा से वर्ष 2014 की रिट याचिका (सी) संख्या 6319 का निपटान करते हुए यह टिप्पणी की कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के तारीख 1 फरवरी, 2006 का निर्णय, उक्त उच्च न्यायालय के तारीख 21 जनवरी, 2011 के बाद के आदेश, जो अच्युता राव तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में रिट याचिका (सी) संख्या 2010 के 5226 में दिए गए आदेश से संबंधित था, बाद के आदेश को देखते हुए अस्तित्व में नहीं है; और केंद्रीय सरकार को आगे यह निदेश दिया कि स्टेट्समैन मजदूर संघ के अभ्यावेदन का निपटान उक्त अधिनियम में यथा निर्धारित उचित प्रक्रिया को अपनाने के बाद करें;

और जबकि उक्त आदेश के विरुद्ध स्टेट्समैन लिमिटेड द्वारा 6 जुलाई, 2018 को एक लेटर्स पेटेंट अपील 2018 की 549 दायर की गई थी; और जबकि उक्त लेटर्स पेटेंट अपील का निपटान करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रभाग न्यायपीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की है कि मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन से मनिसाना वेतन बोर्ड की सिफारिशों का विलोपन नहीं होगा और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकारों के उपयोग की कोई सीमा नहीं है;

और जबकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने लेटर्स पेटेंट अपील 2018 के 549 तथा तारीख 5 दिसम्बर, 2018 के सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 2018 के 39593 तथा बाद में लेटर्स पेटेंट अपील 2018 के 549 में सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 2019 के 28500 तथा 28501 में पारित तारीख 24 जून, 2019 के आदेश के माध्यम से केंद्रीय सरकार को यह निदेश दिया कि यह विधि के अनुसार समुचित आदेश पारित करेगी;

और जबकि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक के अनुसार मनिसाना मजदूरी बोर्ड की प्रस्तावित पुनः अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीसदिन की अवधि के भीतर लिखित में अपना अभ्यावेदन देने के लिए अधिसूचित करने हेतु 14 मई, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ.1731 (ड.) द्वारा से राजपत्र में एक सूचना प्रकाशित की गई थी;

और जबकि तारीख 14 मई, 2019 की उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 1731 (ड.) के द्वारा से राजपत्र में प्रकाशित सूचना के उत्तर में मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए और उनकी जांच की गई तथा उन पर विचार की गई;

अतः अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त अनुदेशों के अनुपालन में तथा श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार नीचे उल्लिखित श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के वर्गों और अवधि को शामिल करने के लिए एक आदेश जारी करती है जो केंद्र सरकार की राय में मनिसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करती है, अर्थात:-

- (क) 01 अप्रैल, 1998 से 10 नवम्बर, 2011 (वर्ग III, II, I, I क और I ख के समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में);
- (ख) 01 जून, 1999 से 10 नवम्बर, 2011 (वर्ग IV और V के समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में); और
- (ग) 01 अप्रैल, 2000 से 10 नवम्बर, 2011 (वर्ग VI से IX के समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में)।

2. तारीख 5 दिसम्बर, 2000 की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या का.आ.1086 (ड.) जिसे बाद में 15 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ.1125 (ड.) द्वारा संशोधित किया गया, इस अधिसूचना के सभी प्रयोजनों के लिए कार्यशील समझी जाएगी और इसे श्रमजीवी पत्रकार तथा गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी जो मनिसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों, पिछले पैराग्राफ में यथाविनिर्दिष्ट, द्वारा अधिशासित अवधि के दौरान नियोजित किए गए थे, के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रभाग न्यायपीठ द्वारा जारी तारीख 5 दिसम्बर, 2018 को लेटर्स पेटेंट अपील 2018 की 549 और प्रकीर्ण अपील संख्या 2018 की 39593 के अनुदेशों का वास्तविक रूप से अनुपालन करते हुए इस आदेश का एक भाग माना जाएगा।

[फा. सं. एस-14016/2/2015-डब्ल्यूबी]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2020

**S.O. 3596(E).** – Whereas, the Central Government constituted two Wage Boards to fix or revise rates of wages for journalists and non-journalist newspaper employees and news agency employees, under section 9 and section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) (hereinafter referred to as the said Act), by the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour *vide* numbers S. O. 641 (E), dated the 2<sup>nd</sup> September, 1994 and S.O. 642 (E), dated the 2<sup>nd</sup> September, 1994, respectively;

And whereas, the said Wage Boards submitted Report containing their recommendations (Manisana Wage Board Recommendations) to the Central Government on the 25<sup>th</sup> day of July, 2000; and the said recommendations, were accepted by the Central Government, as contained in “PART THREE” of the said Report;

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 12 of the said Act, two orders along with such modifications as specified in PART THREE of the said Report, were notified *vide* notification numbers S.O. 1086 (E), dated the 5<sup>th</sup> December, 2000 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 1125(E), dated the 15<sup>th</sup> December, 2000 (hereinafter referred to as the said two notifications);

And whereas, the said two notifications were struck down by the Hon’ble High Court of Karnataka *vide* its Order, dated the 1<sup>st</sup> February, 2006 and by the Hon’ble High Court of Delhi *vide* its Order, dated the 21<sup>st</sup> November, 2006, respectively;

And whereas, in W.P (C) No. 5226 of 2010 (in the matter of Sri Achutha Rao and others vs. Union of India, Manisana Wage Board and Manipal Media Network Limited), the Hon’ble High Court of Karnataka *vide* its Order, dated the 21<sup>st</sup> January, 2011, disposed of the writ petition after noting that Manipal Media Network Limited was agreeable to implementing the Manisana Wage Board Order in the case of its employees;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 12 of the said Act and in supersession of the said two notifications, notified the Majithia Wage Board recommendations *vide* notification number S.O. 2532 (E), dated the 11<sup>th</sup> November, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession;

And whereas, while the matters stood like that, the Statesman Mazdoor Union filed a fresh writ petition W.P (C) No. 6319 of 2014 before Hon’ble High Court of Delhi to direct the Central Government to re-notify both the said two notifications;

And whereas, the Hon’ble High Court of Delhi disposed of the said W.P (C) No. 6319 of 2014 *vide* its judgment dated the 6<sup>th</sup> July, 2018 with the observation that the judgment dated the 1<sup>st</sup> February, 2006 of the Hon’ble High Court of Karnataka did not survive in view of the subsequent Order of the said High Court, dated the 21<sup>st</sup> January, 2011 passed in Achutha Rao and others vs. Union of India and others in W.P (C) No. 5226 of 2010; and

further directed the Central Government to dispose of the representation of the Statesman Mazdoor Union after following the due procedure as laid down under the said Act;

And whereas, a Letters Patent Appeal 549 of 2018 as against the said Order dated the 6<sup>th</sup> July, 2018 was preferred by the Statesman Limited; and while disposing of the said Letters Patent Appeal, the Division Bench of the Hon'ble High Court of Delhi has, *inter alia*, observed that implementation of the Majithia Wage Board recommendations will not efface the Manisana Wage Board recommendations and there are no limitations for the exercise of the powers by the Central Government under section 12 of the said Act;

And whereas, the Hon'ble High Court of Delhi, *vide* its Order in Letters Patent Appeal 549 of 2018 and Civil Miscellaneous No. 39593 of 2018, dated the 5<sup>th</sup> December, 2018 and subsequent Order, dated the 24<sup>th</sup> June, 2019, passed in Civil Miscellaneous Appeal Nos. 28500 and 28501 of 2019 in Letters Patent Appeal 549 of 2018, directed the Central Government that it will pass appropriate orders in accordance with law;

And whereas, in pursuance of the proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) a notice was published, in the Official Gazette *vide* notification number S.O. 1731(E), dated the 14<sup>th</sup> May, 2019, to notify all persons likely to be affected by the proposed re-notification to the Manisana Wage Board recommendations to make their representations in writing within a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And whereas, representations were received in the Ministry in response to the notice published in the Official Gazette *vide* the said notification number S.O. 1731(E), dated the 14<sup>th</sup> May, 2019 and the same were examined and considered.

Now, therefore, in pursuance of the said directions of the Hon'ble High Court of Delhi and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), the Central Government hereby makes an Order, which in the opinion of the Central Government do not affect important alterations in the character of the Manisana Wage Board recommendations, to cover the period and the classes of working journalist and non-journalist newspaper employees as mentioned below, namely :-

- (a) 1st April, 1998 to 10th November, 2011 (in respect of news paper establishments of classes III, II, I, IA and IB);
- (b) 1st June, 1999 to 10th November, 2011 (in respect of news paper establishments of classes IV and V); and
- (c) 1st April, 2000 to 10th November, 2011 (in respect of news paper establishments of classes VI to IX).

2. In view of the foregoing, the notification numbers S.O. 1086 (E), dated the 5<sup>th</sup> December, 2000 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 1125(E), dated the 15<sup>th</sup> December, 2000 shall, for all purposes be deemed operational for the purposes of this notification and be treated as the part of this order in compliance with the directions, in letter and spirit, of the Division Bench of the Hon'ble High Court of Delhi in Letters Patent Appeal 549 of 2018 and Civil Miscellaneous No. 39593 of 2018, dated the 5<sup>th</sup> December, 2018 in respect of working journalist and non-journalist newspaper employees, who were employed during the period governed by the Manisana Wage Board Recommendations as specified in preceding paragraph.

[F. No. S-14016/2/2015-WB]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.